भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 294
दिनांक 22 जुलाई, 2025 / 31 आषाढ़, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

काकीनाडा तटीय कटाव अपरदन परियोजना हेतु राष्ट्रीय आपदा शमन निधि के अंतर्गत सहायता

†294. श्री तंगेला उदय श्रीनिवासः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को काकीनाडा तट पर तीव्र समुद्री कटाव को रोकने हेतु काकीनाडा तटीय कटाव अपरदन परियोजना के कार्यान्वयन हेतु आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और कार्य-निष्पादन, अनुमोदन और कार्यान्वयन की समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) या किसी अन्य केंद्रीय योजना के अंतर्गत कोई वित्तीय सहायता मांगी है और यदि हाँ, तो कितनी निधि प्रस्तावित या अनुमोदित की गई है; और

(घ) काकीनाडा में जीवन, आजीविका और तटीय अवसंरचना के संरक्षण हेतु इस परियोजना को शीघ्र शुरु करने में सहायता देने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को 'काकीनाडा तट के लिए तटीय रेजिलिएंस बढ़ाना' शीर्षक से अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तकनीकी मूल्यांकन के बाद, एनडीएमए ने इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को प्रेषित किया है।

राज्य के इस प्रस्ताव का उद्देश्य काकीनाडा जिले के पाँच तटीय गाँवों, अर्थात् नेमम, कोमारगिरी, सुब्बमपेटा, उप्पाडा और अमीनाबाद, में तटीय रेजिलिएंस में सुधार लाना और भूमि के कटाव से बचाना है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 294, दिनांक 22.07.2025

(ग) और (घ): कटाव के जोखिम को कम करने के लिए, पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए एनडीएमएफ से 1500 करोड़ रुपये के आवंटन की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने दिनांक 20.06.2024 को एनडीएमएफ के अंतर्गत तटीय और नदी कटाव के लिए धनराशि के अनुमोदन और जारी करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं। ये दिशानिर्देश गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

राज्य सरकार ने एनडीएमएफ से वित्तपोषण हेतु इस परियोजना के लिए 323.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव रखा है।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव पर केंद्र सरकार द्वारा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, विचार किया जाता है जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एससी-एनईसी) की उप-समिति द्वारा मूल्यांकन और उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा अनुमोदन शामिल है।

****